समेकित बाल संरक्षण योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अनिवार्य सेवाओं यथा, आपातकालीन पहुंच, संस्थागत देखभाल, परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श एवं समर्थन सेवाओं की राज्य एवं जिला स्तरों पर स्थापित करना तथा बाल अधिकारों एवं संरक्षण विषय पर आमजनों का जागरूक करना तथा सभी मौजूदा बाल संरक्षण सेवाओं, योजनाओं और हर स्तर की संरचनाओं की जानकारी देना तथा अनाथ, बेसहारा, दुसाध्य रोगों से पीडित बच्चों तथा इन दुसाध्य रोगों से पीडित माता-पिता के बच्चों के पालन पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

इस योजना अंतर्गत किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति के संचालन में होने वाले व्यय में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अवयवों में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में केन्द्र, राज्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है।

3. देय राशि

अनाथ/अभ्यर्पित/परित्यक्त बच्चें को बाल गृह /खुला आश्रय एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में अनुरक्षण मद में 2000(दो हजार) रूपया प्रति माह के कि दर से व्यय किया जाता है।

4. पात्रता

18 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखरेक्ष एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले/अनाथ/अभ्यर्पित/विधि विवादित बच्चें।

5. प्रक्रिया

समेकित बाल सरंक्षण योजना अंतर्गत विहित प्रपत्र में आवेदक स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सम्बंधित बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाईके कार्यालय में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार आवेदन दे सकते हैं।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न इकाईयों से योजना अन्तर्गत व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त कर समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से विभागीय अनुमोदनोपरांत महालेखाकार को समायोजन के लिए भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण कमिटी की त्रैमासिक बैठक तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटको के संचालन के प्रगति की समीक्षा की जाती है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त शिकायत, जिला बाल संरक्षण इकाई में दर्ज की जा सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से शिकायत का निपटारा नहीं होने की स्थिति में परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।